निग /2790/PBR/15

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

दिलीपसिंह पिता इंदरसिंह जाति राजपूत
निवासी– ग्राम राजपुरा तहसील सरदारपुर जिला धार —प्रार्थी

विरूद्ध

रतनसिंह पिता धनसिंह जाति राजपूत
निवासी– ग्राम राजपुरा तहसील सरदारपुर जिला धार — प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ।

श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा के प्रकरण 0/अ–12/14–15 में दिनांक 30/06/2015 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत की जा रही है :–

प्रकरण के तथ्य :–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अमझेरा तह. सरदारपुर स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 334/3, 334/5, 337/2 रकबा 1.432, 0.157, 0.157 हे. कुल रकबा 1.746 हे. भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु प्रतिप्रार्थी के द्वारा धारा 129 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन के आधार पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा एक प्रकरण 0/अ–12/14–15 स्थापित कर अनावेदकगण की कृषि का सीमांकन किए जाने हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 अमझेरा को आदेशित किया गया। राजस्व निरीक्षक के द्वारा भूमि का सीमांकन प्रार्थी के पीठपीछे दिनांक 10/06/205 को कर सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 24/06/2015 की प्रस्तुत की गई। श्रीमान् तहसीलदार के द्वारा दिनांक 30/06/2015 को आदेश पारित किया गया । इसी आलोच्य आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण/निगरानी प्रस्तुत की जा गई है ।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.निगरानी 2790-पीबीआर/2015 जिला-धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-3-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री पी0जी0पाठक तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया । उभयपक्ष द्वारा बताया गया कि जिस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी लंबित है उसी आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में अनावेदक ने निगरानी प्रस्तुत की थी, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीधीन आदेश पूर्व में निरस्त होकर प्रकरण का प्रत्यावर्तन हो चुका है अतः इस निगरानी को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से यह निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	